Phone & Fax:- 01352695884

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड
लोक निर्माण विभाग, डोईवाला (देहरादून)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, N.H. P.W.D.,Doiwala

Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eenhdoiwala@rediffmail.com

पत्रांकः– 80 /14सी0

दिनांक 24/01/2017

सेवा में,

रिलॉयस जियो लिमिटेड
एन0सी0आर0 प्लाजा न्यू कैन्ट रोड
हाथी बडकला देहरादून

विषय– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707ए0 के चकराता से लोहारी कि0मी0 61.00 से 93.00 में ओ0एफ0सी0 केबिल डाले जाने हेतु रोड कटिंग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के क्रम में आप द्वारा प्रेषित ड्रफ्ट/चैक संख्या 161599/16 दिनॉक 09.01.2017 एच0डी0एफ0सी0 बैंक द्वारा रु0 1,20,58,000.00 इस कार्यालय में प्राप्त किया गया है, जिसके कम में रा0मा0 संख्या 707ए0 के चकराता से लोहारी कि0मी0 61.00 से 93.00 में ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने हेतु अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है:–

1:– यदि भविष्य में मार्ग चौडीकरण/सुदृढीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है तो आपके द्वारा बिछाई गई लाईन आपके विभाग को अपने व्यय पर शिप्ट करनी पडेगी। यदि निर्धारित समय तक आपके द्वारा उक्त लाईन नहीं हटाई जाती है तो विभाग को अधिकार होगा कि वह उक्त लाईन को हटा/दबा देगा तथा इस कार्य पर होने वाले व्यय को आपसे वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा यदि पाईन लाईन हटाई नहीं जाती और दबा दी जाती है, तो उस दशा में दबी लाईन की सप्लाई बंद करनी होगी।

2:– मार्ग काटने का कार्य पूर्ण सावधानी तथा यातायात की सुरक्षा प्रबन्ध तथा बैरिकेडिंग, रिप्टैस्गि आदि किये जाने के पश्चात किया जायेगा तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा।

3:– सडक काटते समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्ग के दोनों ओर प्रबन्ध किये जाय, यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4:– जिस समय मार्ग काटने का कार्य किया जाये उससे पूर्व लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी महोदय देहरादून को यथासमय सूचित किया जाय।

5:– उपरोक्त स्वीकृति दिनॉक 15.07.2017 तक वैद्य है तथा उक्त तिथि के बाद 2 प्रतिशत अधिक धनराशि जमा कर पुनः स्वीकृति लेनी होगी।

6:– लाईन बिछाने का कार्य आगणन के अनुसार होना अत्यन्त आवश्यक है।यदि भविष्य में मार्ग को पुनः निर्माण आदि के लिये गहराई पर खोदा जाता है व उससे आपके द्वारा डाली गई लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7:– सडक काटने के पश्चात भरी जाने वाली मिटटी को लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कम्पैक्शन किया जाना आवश्यक है।

8:– खुदाई करते समय पक्के मार्ग के नीचे का ब्लास्ट आदि ट्रेंच के एक ओर तथा खुदाई की मिटटी दूसरी ओर रखी जाय। कार्य पूर्ण होने पर पहले मिटटी भरी जाय, एक दो दिन बाद मिटटी दबाकर फिर खोदा गया ब्लास्ट उसके उपर डाला जाय, मिटटी तथा ब्लास्ट को टैंकर से पानी डालकर काम्पैक्ट किया जाय।

9:– जब कभी लाईन में आपके द्वारा कोई कार्य किया जायेगा तो कार्य करने से पूर्व आवश्यक शुल्क जमाकर अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

10:– रोड कटिंग चार्जेज रु0 1,20,58,000.00 जो कि आपके द्वारा चैक संख्या 161599/16 दिनॉक 09.01.2017 द्वारा जमा किये गये है व मार्ग को भविष्य में सुचारु रुप से चालू रखने हेतु व्यय किये जाते है। यह राशि नॉन रिफन्डेबिल है।

11:– खुदाई की मिटटी पक्की सतह पर न डाली/छोडी जाय।

12:– आपके द्वारा जमा की गई उक्त धनराशि आगणन के अनुसार है, जिसका विवरण आगणन में दिया गया है हेतु ली गई है। यदि कटिंग आगणन में दिये गये क्षेत्रफल से अधिक होती है तो अतिरिक्त कंटिंग की धनराशि आपको तुरन्त जमा करानी होगी। यदि आप इस धनराशि को समय पर जमा न कर पाये तो विभाग को अधिकार होगा कि वह वसूली एज'ए लैण्ड रैवेन्यू वसूल करवायें जायेंगे तथा इस प्रकार वसूल की जाने वाली धनराशि पर हुये व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी।

13:– भविष्य में यदि कोई अन्य दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये जाते है तो उनका पालन करने हेतु आप बाध्य होंगें।

14:– कार्य कराने से पूर्व पुलिस विभाग से उक्त रोड कटिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

24/01/017

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0,
डोईवाला (देहरादून)

पत्रांक /14सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी देहरादून/टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता द्वितीय रा0मा0खण्ड लो0नि0वि0 डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि मार्ग कटिंग हो जाने पर काटे गये क्षेत्रफल की वास्तविक विस्तृत सूचना एवं अतिरिक्त कटिंग का बिल अनिवार्य रुप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय, यदि निरीक्षण के दौरान इसमें अनियमितता पाई गई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित मेट व अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी।

प्रतिलिपिः– खण्डीय रोकडिया को उपरोक्त ड्राप्ट सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0खण्ड लो0नि0वि0 डोईवाला देहरादून को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0,
डोईवाला (देहरादून)